नईदुनिया

संपादकीय

ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती में दरार

अमेरिकी अरबपति एलन मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राहें अब अलग हो गई हैं। इस बार मुद्दा भारी-भरकम खर्च को लेकर है। मस्क लागत में कटौती और दक्षता में सुधार के लिए सरकारी प्रयासों की अगुआई कर रहे थे। उन्होंने सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या और खर्च में कटौती की वकालत की। दरअसल, ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही मस्क को यह अहम जिम्मेदारी सौंप दी थी। तब ट्रंप और मस्क की गहरी मित्रता से लगा था कि अमेरिका नए रास्ते पर चल पड़ा है। मगर मार्ग में बाधाएं तब आनी शुरू हुईं, जब मस्क के कई फैसलों का अमेरिका में विरोध होने लगा। वहीं ट्रंप की नीतियों से उनके कारोबारी हित भी टकराने लगे। उनके बीच दोस्ती में पहली दरार तब दिखी, जब ट्रंप ने कृत्रिम मेधा से जुड़ी पांच सौ अरब डालर की योजना कुछ निवेशकों के साथ पेश की। इसके बाद मतभेद बढ़ते चले गए। फिलहाल ताजा टकराव भारी-भरकम सरकारी खर्च पर है। इससे बजट घाटा बढ़ने का खतरा बताते हुए मस्क ने तीखे सवाल उठाए हैं।

मस्क हमेशा विवादों में रहे। उनका कई मंत्रियों से नीतिगत विवाद हआ। वहीं उनके आक्रामक कदम से ट्रंप प्रशासन में भी तनाव दिखा। सरकारी कर्मियों की छंटनी करने का खासा विरोध हुआ। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा। मस्क की नीतियों से चिंतित ट्रंप को कहना पड़ा कि नौकरियों के मामले सरकार की चलेगी, न कि मस्क की। दरअसल, उनके फैसलों पर विवाद बढ़ने से ट्रंप प्रशासन की साख पर असर पड़ने लगा था। मतभेद यहीं तक सीमित नहीं था। आव्रजन नीति को बदलने या इसे खत्म करने के मुद्दे पर मस्क सहमत नहीं थे।

उनके दबाव में पहली बार इस मसले पर ट्रंप को झुकना पड़ा था। उन्हें कहना पड़ा कि एच वन बी वीजा उनको पसंद है। कुछ समय पहले शुल्क और व्यापार के मसले पर भी उनके बीच मतभेद गहरा गए थे। ट्रंप के ठेस पहुंचाने वाले बयानों से भी मस्क का मोहभंग हुआ। सवाल है कि क्या अब मस्क के विरोध और सरकारी जिम्मेदारी छोड़ कर अलग हो जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप मनमाने फैसले करने और बड़बोलेपन से बचने का प्रयास करेंगे!

भारत में गरीबों की घटती संख्या के मायने

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

वस्तुतः हमारे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि देश में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 34.44 करोड़ से घटकर 7.52 करोड़ रह गई है। इस तरह देश ने करीब 27 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। विश्व बैंक के आंकड़े कह रहे हैं कि 2011-12 में 27.1 प्रतिशत की अत्यधिक गरीबी दर 2022-23 में घटकर मात्र 5.3 प्रतिशत रह गई है। विश्व बैंक की सामने आई रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में तेजी के साथ रोजगार में वृद्धि हुई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक तौर पर सुधार हुआ है। सरकारी योजनाओं का अधिकतर लोगों तक पहुंचने से भारत ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में भी जबरदस्त प्रगति की है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआइ) 2005-06 में 53.8 प्रतिशत से घटकर 2019-21 में 16.4 प्रतिशत और 2022-23 में 15.5 प्रतिशत पर आ पहुंचा है।

किसी भी देश के लिए लोक कल्याणकारी राज्य होने का अर्थ है, उसके द्वारा इस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए ताकि वहां निवासरत लोगों के बीच किसी भी तरह की असामनता और अव्यवस्था है, वह दूर हो सके। आर्थिक स्तर पर रोजगार के अवसर इतने सुलभ हों कि वहां से पलायन न होकर प्रत्येक नागरिक एक खुशहाल जीवन जी सके। भारत के संदर्भ में यदि इस बात को देखें तो एक तरफ देश पर लगातार जनसंख्यात्मक दबाव बढ़ा है तो दूसरी तरफ यहां की केंद्र व राज्य सरकारों ने इस तरह का प्रबंधन बैठाया कि जिस जनसंख्या का बढ़ना राज्य के लिए संकट हो सकता था, वह जनसंख्या इस देश की ताकत बनकर उभरी है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनेवालों की संख्या में जो कमी आई है, वह आज भारत की समृद्धि की गाथा कह रही है।

इस संदर्भ में कहना होगा कि भारत में अत्यधिक गरीबी की दर में काफी ज्यादा कमी आ गई है। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344.47 मिलियन से घटकर 75.24 मिलियन हो गई है। यह संकेत है भारत के सतत शक्तिशाली देश के रूप में वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का। निश्चित ही विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे तेज आर्थिक सुधारों, चलाई जा रही सरकारी पहलों का यह परिणाम है जो यह बड़ा परिवर्तन हर व्यक्ति के जीवन स्तर में देखने को मिला है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी), डिजिटल समावेश और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे समेत केंद्र व राज्य की आवासीय एवं अन्य योजनाओं ने आज आम आदमी की हर उस जरूरत को पूरा किया है, जिससे कि वह संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार को सहजता से पूरा कर सके।

वस्तुत: हमारे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि देश में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 34.44 करोड़ से घटकर 7.52 करोड़ रह गई है। इस तरह देश ने करीब 27 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। विश्व बैंक के आंकड़े कह रहे हैं कि 2011-12 में 27.1 प्रतिशत की अत्यधिक गरीबी दर 2022-23 में घटकर मात्र 5.3 प्रतिशत रह गई है। विश्व बैंक की सामने आई रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में तेजी के साथ रोजगार में वृद्धि हुई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक तौर पर सुधार हुआ है। सरकारी योजनाओं का अधिकतर लोगों तक पहुंचने से भारत ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में भी जबरदस्त प्रगति की है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआइ) 2005-06 में 53.8 प्रतिशत से घटकर 2019-21 में 16.4 प्रतिशत और 2022-23 में 15.5 प्रतिशत पर आ पहुंचा है। यदि यही प्रगति का प्रयास जारी रहा तो वह दिन बहुत दूर नहीं जब भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनेवाला कोई एक व्यक्ति शेष नहीं होगा।

इस रिपोर्ट के आंकड़ों का गहराई से अध्ययन करें तो सामने आता है कि भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र का अंतर विशेषकर आर्थिक स्तर पर बहुत कम होता जा रहा है। यही वह वजह भी है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में तेजी से कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी दर आज 18.4 फीसदी से घटकर 2.8 प्रतिशत रह गई है। इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी दर जो 10.7 फीसदी के करीब थी,वह घटकर सिर्फ 1.1 पर आ गई है। इसी तरह का एक व्यापक अंतर ग्रामीण-शहरी जीवन के आर्थिक व्यवहार में दूर हुआ है, यह अंतर 7.7 फीसदी से घटकर सिर्फ 1.7 प्रतिशत पर आ पहुंचा है। विश्व बैंक के अनुसार, 2021-22 के बाद से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। खासकर महिलाओं के बीच रोजगार दरों में वृद्धि हुई है। कृषि में ग्रामीण महिला रोजगार में वृद्धि हुई है। शहरी बेरोजगारी वित्त वर्ष 24-25 की पहली तिमाही में 6.6 प्रतिशत तक गिर गई, जो 2017-18 के बाद सबसे कम है।

यहां जो सबसे सुकून की बात है, वह यह है कि हर राज्य अपने स्तर पर और केंद्र के सहयोग से गरीबी दूर करने के लिए बराबर से प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। जिसमें कि सबसे अच्छा कार्य भाजपा शासित राज्यों में हुआ है। जिसमें कि मध्य प्रदेश में पहले शिवराज सिंह चौहान और अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा इस दिशा में किए जा रहे सार्थक प्रयासों का जिक्र किया जाना आवश्यक है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शासनकाल में जो प्रयोग किए हैं, उसने आज एक बड़ी आबादी के बीच की आर्थिक असमानता को बहुत हद तक दूर कर दिया है। यही कारण है कि यहां भी सबसे अधिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में व्यापक कमी आई है। महाराष्ट्र और बिहार में भी भाजपा की गठबंधन सरकारें हैं, यहां भी बहुत अच्छा कार्य पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। इस तरह इन चार राज्यों का दो-तिहाई योगदान 50 प्रतिशत से अधिक अत्यंत गरीब लोगों को सामान्य जीवन जीनेवालों की श्रेणी में लाने के स्तर पर देखा जा सकता है। यहां यह भी जिक्र करना आवश्यक लगता है कि विश्व बैंक ने अपनी यह रिपोर्ट 100 से अधिक विकासशील देशों में गरीबी, साझा समृद्धि और असमानता के रुझानों के बारे में दुनिया को बताने के लिए प्रस्तुत की है, ताकि विश्व में सभी समान रूप से यह जान सके कि कहां कैसी असमानता आर्थिक स्तर पर मौजूद है, जिसके कारण से अनेक देशों में मनुष्यता संकट में है। वास्तव में जिसे दूर किया जाना मानवीयता के लिए अति आवश्यक है। वस्तुत: इन दिनों दुनिया के तमाम देशों के बीच भारत जिस तरह से चहुंओर प्रगति करता दिखता है, इसे लेकर आज यही कहना होगा कि वह दिन दूर नहीं जब न सिर्फ आर्थिक शक्ति के स्तर पर भारत दुनिया के प्रमुख तीन देशों में होगा बल्कि अर्थिक वितरण के हिसाब से भी परस्पर सहभागिता के स्तर पर भी भारत के अधिकांश परिवारों में खुशहाली मौजूद होगी। फिलहाल आप इस उपलब्धि के लिए केंद्र की भाजपा-मोदी सरकार की सराहना जरूर कर सकते हैं!

मध्यप्रदेश सहित 4 राज्यों के 102 जिलों में बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन

अमिताभ पाण्डेय

दुनियाभर में बेहतर पर्यावरण के लिए जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) एक बड़ी चुनौती है । जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने - बचाने के लिए सरकार और समाज के स्तर पर तरह-तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत के 4 प्रमुख राज्यों के 102 जिलों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अभी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं , वह पर्याप्त नहीं है। इन सभी जिलों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक प्रभावी योजनाओं को तत्काल लागू करने की जरूरत है। यह निष्कर्ष एक नए अध्ययन में सामने आए हैं। इस अध्ययन से पता चला है कि मध्य भारत के तीन में से एक जिला क्लाइमेट चेंज से निपटने और इसके अनुकूल बनने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है. इस अध्ययन में एग्रो-क्लाइमेटिक और सामाजिक-आर्थिक असुरक्षाओं के आधार पर क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता के बारे में बताया गया है। स्टडी के निष्कर्ष बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और सूखे का मुकाबला करने की तैयारियों के बारे में कमियों और किए जाने वाले उपायों को सामने लाते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में हाल में प्रकाशित इस अध्ययन का शीर्षक है, असेसिंग क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंस इन सेंट्रल इंडियन एग्रीकल्चर: ए रीजनल इंडिकेटर-बेस्ड अप्रोच एंड एग्रो-क्लाइमेटिक जोन मैपिंग. इसमें चार राज्यों - मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के 102 जिलों की स्टडी की गई। इन जिलों का बहुत चुनौतीपूर्ण मौसम और सूखे जैसी स्थितियों से प्रभावित होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है।

यह अध्ययन पीएचडी रिसर्च स्कॉलर चैतन्य अशोक अढव ने डॉ. हरि नाथ सिंह, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स विभाग, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड के मार्गदर्शन में किया है। इसमें पाया गया कि मध्य भारत के 27.39त्न जिले 'जलवायु परिवर्तन से निपटने में कम सक्षम' श्रेणी में आते हैं, जो किसानों, इकोसिस्टम और ग्रामीण आजीविका संबंधी अहम असुरक्षाओं को उजागर करता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता का मतलब है भारी बारिश, बढ़ता तापमान या सूखे की स्थिति का सामना करने और निपटने के लिए किए गए उपायों से है। नीतिगत हस्तक्षेप के कारण, जिन जिलों में अच्छी सड़क, कुशल सिंचाई प्रणाली, मौसम का अलर्ट और किसानों के लिए सहायता उपलब्ध होती है. इसका मतलब है कि ऐसे बहुत चुनौतीपूर्ण मौसमों के कारण कृषि उपज को नुकसान होने की आशंका कम होती है। अध्ययन के प्रमुख लेखक चैतन्य अढव बताते हैं, दूसरी ओर, जिस जिले के पास बहुत गर्मी (हीटवेव) या सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कुशल योजना, संसाधन या सहायता नहीं होती है, वह कम सक्षम जिला कहलाता है. इनके बहुत अधिक प्रभावित होने की आशंका अधिक होती है क्योंकि ऐसे खतरों से जल्द और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इनके पास अनुकूलन तंत्र (एडाप्टेशन मैकेनिज्म) नहीं होता है।

अध्ययन के निष्कर्ष : अध्ययन में 50 सब-इंडीकेटर्स का उपयोग किया गया, जिनमें वास्तविक और अपेक्षित वर्षा के बीच के अंतर, वन क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, फसल बीमा, सिंचाई की उपलब्धता, सड़क संपर्क और बाजार बुनियादी ढाँचा शामिल हैं। इन सब-इंडीकेटर्स को जलवायु से जुड़े खतरों, कृषि उत्पादकता और जलवायु अनुकूलनशीलता (क्लाइमेट अडैप्टबिलटी) के तीन प्रमुख घटकों में वर्गीकृत किया गया. जबकि केवल 28.71 प्रतिशत जिलों को अत्यधिक सक्षम माना गया, अधिकांश (43.91 प्रतिशत) मध्यम रूप से सक्षम पाए गए. शेष 36 जिले, जो अध्ययन क्षेत्र के लगभग 30त्न इलाके में स्थित हैं, में जलवायु परिवर्तनों से निपटने के लिए संस्थागत और पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) दोनों तरह के प्रतिरोधक (बफर) की कमी मिली। अढव कहते हैं, कम सक्षम जिले आम तौर पर दोहरे चुनौती का सामना करते हैं. एक तरफ, उनके सामने सूखे और अनियमित वर्षा जैसे जलवायु परिवर्तनों का खतरा ज्यादा रहता है. दूसरी ओर, खराब बुनियादी ढांचे, कम साक्षरता और सीमित संस्थागत पहुँच के कारण जलवायु परिवर्तनों के अनुकूल बनने की उनकी क्षमता बहुत ज्यादा बाधित होती है। इन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल योजना तैयार करने के लिए तत्काल ध्यान दिए जाने और लक्षित हस्तक्षेप करने की जरूरत है।

मध्य भारत के जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम जिले : अध्ययन में पहचाने गए कुछ सबसे कम सक्षम जिलों में मध्य प्रदेश के भोपाल, दमोह, गुना, मुरैना, पन्ना, सीधी, टीकमगढ़, रतलाम शामिल हैं, जिन सभी का स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, वन क्षेत्र और साक्षरता दर जैसे प्रमुख संकेतकों के आधार पर प्रदर्शन खराब रहा। श्योपुर (एमपी) और दुर्ग (छत्तीसगढ़) जैसे अन्य कम सक्षम क्षेत्रों में लगातार सूखा पड़ना, खराब सड़क संपर्क और आजीविका के सीमित साधन जैसे पर्यावरणीय और संस्थागत - दोनों प्रकार की चुनौतियां मौजूद हैं। इसके विपरीत, महाराष्ट्र में अहिल्या नगर को बेहतर वन क्षेत्र, सड़क बुनियादी ढांचे और कम जनसंख्या घनत्व के कारण अत्यधिक सक्षम जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया। महाराष्ट्र के सांगली एवं कोल्हापुर और छत्तीसगढ़ के रायपुर जैसे जिलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका श्रेय शिक्षा, बाजार और सार्वजनिक सेवाओं तक अपेक्षाकृत बेहतर पहुंच को जाता है। दक्षिणी यूपी के सभी चयनित जिले कम से मध्यम सक्षम जिले के रूप में सामने आए, जो अक्षमताओं और नीतियों के असमान प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन को दर्शाता है।

क्षेत्रीय आधार पर तैयार जलवायु योजनाओं की जरुरत: विशेषज्ञ : सह-लेखक और जलवायु अनुकूलन शोधकर्ता डॉ. हरि नाथ सिंह के अनुसार, यह अध्ययन ज्यादा विस्तृत और क्षेत्रीय आधार पर तैयार जलवायु योजनाओं की जरुरत को सामने लाता है। उन्होंने कहा, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्षेत्रीय आधार पर योजनाएं बनाने की जरूरत है क्योंकि क्लाइमेट चेंज से स्थानीय लोग ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन नीतियां राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर बनाई जाती हैं। अध्ययन में कम सक्षम जिलों में जलवायु संकट से निपटने हेतु, भूजल उपलब्धता और फसल विविधीकरण में सुधार के लिए जल संचयन को बढ़ावा देने की अनुशंसा की गई है ताकि पर्यावरण चुनौतियों के असर को कम किया जा सके।

इसके साथ-साथ ग्रामीण कृषि विस्तार सेवाओं और आपदा तैयारी तंत्र जैसे संस्थागत सहायता प्रणालियों को बेहतर बनाने की भी सिफारिश है। जमीनी स्तर पर जलवायु संकट से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिए पारिस्थितिक बहाली (इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन) और समुदाय के नेतृत्व वाले प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के महत्व की पहचान दीर्घकालिक रणनीतियों के रूप में की गई है। अधव ने कहा, जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम होना सिर्फ़ तकनीक या बुनियादी ढांचे पर निर्भर नहीं होता है।

आजकल

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

इस वर्ष 14 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास के एक स्टोर रूम में लगी आग के पश्चात घर से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले के बाद न्यायपालिका में फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर बहस तेज हो गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद के आगामी सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी भी कर ली है। इस मामले में सुप्रीमकोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन की 3 सदस्यीय समिति को जांच सौंपी थी और इस जांच समिति ने 3 मई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा पर नकदी बरामदगी के लगे आरोपों को सही पाया गया। इसके बाद 6 मई को जस्टिस वर्मा से उनका जवाब मांगा गया लेकिन उनकी सफाई से संतुष्ट न होने पर पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह रिपोर्ट भेज दी। साथ ही उनसे सिफारिश की गई कि वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस बहस के बीच सुप्रीमकोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय में 'मेंटेनिंग ज्यूडीशियल लेजिटिमेसी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस' विषय पर आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में कहा कि ''दुख की बात है कि न्यायपालिका के भीतर भी भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले सामने आए हैं।

ऐसी घटनाओं से जनता के भरोसे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे पूरी प्रणाली की शुचिता में विश्वास खत्म हो सकता है।'' उन्होंने कहा कि ''चर्चा का एक और मुद्दा सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी है। भारत में, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु निश्चित है। यदि कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकार में कोई अन्य नियुक्ति प्राप्त करता है या चुनाव लडने के लिए पीठ से इस्तीफा देता है तो यह गंभीर नैतिक चिंताएं पैदा करता है और इससे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है।'' उन्होंने कहा कि ''इसी को देखते हुए मेरे कई सहयोगियों और मैंने सेवानिवृत्ति के बाद सरकार से कोई भूमिका या पद स्वीकार न करने की सार्वजनिक तौर पर प्रतिज्ञा की है। यह प्रतिबद्धता न्यायपालिका की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को बनाए रखने का एक प्रयास है।'' इस बीच जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले के बाद भी पिछले कुछ दिनों में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के 2 अन्य मामले सामने आए हैं। 16 मई, 2025 को एंटी क्रप्शन ब्यूरो ने 14 सितम्बर, 2023 से 21 मार्च, 2025 के बीच राऊज एवेन्यू जिला अदालत में तैनात रहे क्लर्क के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। एंटी क्रप्शन ब्यूरो ने आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत के लिए रिश्वत मांगने की शिकायतों के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज की थी।

हिन्दू साम्राज्य दिवस : भारत के स्वराज्य की हुंकार

- लोकेन्द्र सिंह

छत्रपति शिवाजी महाराज भारत की स्वतंत्रता के महान नायक हैं, जिन्होंने 'स्वराज्य' के लिए संगठित होना, लड़ना और जीतना सिखाया। मुगलों के लंबे शासन और अत्याचारों के कारण भारत का मूल समाज आत्मदैन्य की स्थिति में चला गया था। विशाल भारत के किसी न किसी भू-भाग पर मुगलों के शोषणकारी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष तो चल रहा था लेकिन उन संघर्षों से बहुत उम्मीद नहीं थी। भारत के वीर सपूत अपने प्राणों की बाजी तो लगा रहे थे लेकिन समाज को जागृत और संगठित करने का काम नहीं कर पा रहे थे। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज के भीतर विश्वास जगाया कि हम मुगलों के शासन को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, यदि सब एकजुट हो जाएं। यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के देवलोक गमन के बाद भी 'हिन्दवी स्वराज्य' का विचार पल्लवित, पुष्पित और विस्तारित होता रहा। 'हिन्दू साम्राज्य दिवस' या 'श्रीशिव राज्याभिषेक दिवस' भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना ने दुनिया को बताया कि भारत के भाग्य विधाता मुगल नहीं हैं। भारत का हिन्दू समाज ही भारत का भाग्य विधाता है। भारत में हिन्दुओं का राज्य है। उनके शासन का नाम है- 'हिन्दवी स्वराज्य।'

विक्रम संवत 1731, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को स्वराज्य के प्रणेता एवं महान हिन्दू राजा श्रीशिव छत्रपति के राज्याभिषेक और हिन्दू पद पादशाही की स्थापना से भारतीय इतिहास को नयी दिशा मिली। दासता के घोर अंधकार में स्वराज्य की एक चमकदार रोशनी था- हिन्दवी स्वराज्य। हिन्दू साम्राज्य दिवस को हम भारत के स्वराज्य की हुंकार भी कह सकते हैं, जब हिन्दुओं ने आत्मविश्वास से सीना ठोंककर मुगलों को ललकारा और कहा कि भारत में एक बार फिर स्वराज्य की स्थापना हो गई है, जिसमें सबका कल्याण है। अनेक इतिहासकार एवं विद्वान कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिन्दवी स्वराज्य की स्थापना न की होती, तो भारत का इतिहास कुछ और होता। यह अतिशयोक्तिपूर्ण विचार नहीं है। अपितु भारत के पड़ोसी देशों एवं दूर-दराज के उन देशों की स्थिति को देखकर सहज कल्पना की जा सकती हैं, जहां मूल समाज की अपेक्षा बाहरी आक्रांताओं का शासन स्थायी हो गया। ऐसे देशों में वहां के मूल समाज की संस्कृति लगभग समाप्त हो गई है।

हम कल्पना ही कर सकते हैं कि जिस प्रकार के अत्याचार मुगल शासक भारत में कर रहे थे, उसके बाद हिन्दू समाज किस स्थिति को प्राप्त होता। प्रसिद्ध मराठा इतिहासकार जीएस सरदेसाई ने लिखा है कि मुस्लिम शासन के अधीन पूर्ण अंधकार छाया हुआ था। न कोई पूछताछ होती थी, न न्याय मिलता था। अधिकारी जो चाहें, वही करते थे। स्त्रियों के सम्मान का हनन, हत्याएं, हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन, उनके मंदिरों का विध्वंस, गायों का वध ऐसे घिनौने अत्याचार उस शासन में आम बात थे। निजामशाही ने तो खुलेआम जीजाबाई के पिता, उनके भाइयों और पुत्रों की हत्या कर दी थी। फलटन के बजाजी निंबालकर को जबरन मुसलमान बनाया गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं। हिंदू सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकते थे। यही बातें थीं, जिन्होंने शिवाजी के भीतर धर्मसम्मत क्रोध जगा दिया। विद्रोह की प्रबल भावना ने उनके मन को पूरी तरह घेर लिया। उन्होंने तुरंत कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिसके हाथ में शस्त्र की शक्ति है, उसे कोई भय नहीं होता, कोई कठिनाई नहीं आती। औरंगजेब का शासन तो हिन्दुओं के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। मुगलों के अनीतिपूर्ण शासन के बरक्स छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य में लोकहित सर्वोपरि था। उन्होंने शासन को 'स्व' के आधार पर विकसित किया, इसलिए वह सबका अपना स्वराज्य था। महाराज ने राज्य के प्रत्येक तत्व यानी जल, जंगल, जमीन और जन के लिए नीतियां बनायीं। भारत की संस्कृति का संरक्षण किया। हिन्दू धर्म और उसके पवित्र स्थलों को प्राथमिकता दी। आज भी हम हिन्दू साम्राज्य को याद करते हैं, उसका कारण है कि वह सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक है। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी के राजनीतिक आदर्श ऐसे थे जिन्हें हम आज भी बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर सकते हैं। उनका उद्देश्य था अपने प्रजा को शांति देना, सभी जातियों और धर्मों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, एक कल्याणकारी, सक्रिय और निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नौसेना का विकास करना और मातृभूमि की रक्षा के लिए एक प्रशिक्षित सेना तैयार करना। छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों पर चलकर हम आज भी एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते हैं। यह देखना सुखद है कि देश में ऐसी सरकार है, जो छत्रपति की स्वराज्य की अवधारणा में विश्वास करती है, उनको अपना आदर्श मानती है और उनके बनाए मार्ग पर चलने का प्रयास करती है।